

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.7(11) डीएमई/नर्सिंग/2014/6431

दिनांक: 20/9/2016

संशोधित आदेश

वरिष्ठ शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप-1 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश सं. एफ.7(11) डीएमई/नर्सिंग/2014/3822 दिनांक 02.06.2016 में बिन्दू सं. 1 प्रस्तावित विधार्थियों की वार्षिक फीस का विभाजन में sub head Tution Fees (70%) में संशोधन करते हुए लेख है कि बी.एस.सी नर्सिंग छात्राओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की अंकित Tution fees (70%) 14,600/- रुपये के स्थान पर 14000/- रुपये पढा जावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) एवं
पदेन शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 सरकार।
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 सरकार।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
5. निदेशक (पब्लिक हैल्थ), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 सरकार।
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
8. अतिरिक्त निदेशक(एके0) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/ बीकानेर/उदयपुर/कोटा
11. प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/ बीकानेर/उदयपुर/कोटा/झालावाड।
12. श्री पी.पी तिवाडी, प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) एवं
पदेन शासन उप सचिव